



वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट

2013-14

(01-04-2013 से 31-03-2014 तक)

वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वन विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट - 2013-14

परिचय

हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक ओर जहां वनों से प्रत्यक्ष रूप में हमें निरन्तर ईमारती लकड़ी, ईंधन, बरोज़ा, बांस, भब्वर घास, चारा तथा वन औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं वहीं दूसरी ओर प्रदूषण रहित वातावरण और प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रदेश के कुल 37,033 वर्ग कि०मी० अधिसूचित वन क्षेत्र में 1,896 वर्ग कि०मी० आरक्षित वन, 11,912 वर्ग कि०मी० सीमांकित सुरक्षित वन तथा 23,225 वर्ग कि०मी० असीमांकित, अवर्गीकृत व निजी वन हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रकाशित “भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2013” के अनुसार सैटेलाइट आंकलन के आधार पर प्रदेश का कुल वनावरण 14683 वर्ग कि०मी० है जिसमें अत्यन्त सघन वन 3224 वर्ग कि०मी०, सामान्य सघन वन 6381 वर्ग कि०मी० तथा खुले वन 5078 वर्ग कि०मी० हैं।

विभिन्न वानिकी परियोजनाओं द्वारा प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भूमि वृक्षों से ढकी जा सके। कुल अधिसूचित वन क्षेत्र में 16,376 वर्ग कि०मी० पर्वतीय चरागाहों, चट्टानों और बर्फीली पहाड़ियों के अन्तर्गत अनुमानित है, जिसका प्रदेश के लोगों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि प्रदेश की 25 से 30 प्रतिशत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन चरागाहों पर आश्रित पशुओं पर निर्भर करती है।

2. वर्ष के दौरान वनों तथा वन्य प्राणी संरक्षण के अतिरिक्त जिन विषयों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया उनमें निम्नलिखित विषय मुख्य हैं :-

(क) पौधारोपित क्षेत्रों का निरीक्षण सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें वनराजिक, सहायक अरण्यपाल, वन मण्डलाधिकारी तथा अरण्यपालों के लिए निरीक्षण प्रतिशत निर्धारित है ताकि वृक्षारोपण की सफलता का आकलन करके विफलताओं के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। इस प्रकार का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है जिसके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। वन मण्डलाधिकारियों तथा अरण्यपालों से पौधारोपण निरीक्षण की रिपोर्ट निश्चित समय पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल को भेजी जा रही है।

(ख) सुरक्षित व सीमांकित वन जिनका राजस्व रिकार्ड में उल्लेख नहीं है, का सर्वेक्षण, बन्दोबस्त व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसमें शिमला व सोलन जिले शामिल हैं।

(ग) विभिन्न विकास पैटर्नों, पेड़ों की अरोग्यता तथा लोगों की जरूरतों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए वनों के उत्थान के लिए उपचार, प्रबन्धन और जंगलों पर जैविक दबाव से संरक्षण हेतु कार्ययोजनायें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। वैज्ञानिक प्रबन्धन हेतु प्रदेश के वनों को 37 कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत लिया गया है। इन कार्ययोजनाओं को बनाने तथा अवधि समाप्त होने पर पुनः संशोधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वर्ष 2013-14 तक 29 कार्य योजनाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 1 कार्ययोजना को बनाकर भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा 7 कार्ययोजनाओं की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है और उनके संशोधन पर कार्य किया जा रहा है।

(घ) वनों के संरक्षण को अधिक प्रभावी तथा कारगर बनाने हेतु जिससे उनको आग, अवैध कटान, चोरी आदि से नुकसान न हो इसके लिए विभाग ने दो वन मण्डल, उड़न-दस्ते खोल रखे हैं जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए विभाग ने कई पग उठाए हैं। तकनीकी अवरोधों को दूर करने तथा तुरन्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से वन मण्डलाधिकारियों को कलैक्टर की शक्तियाँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमिसिज़ तथा लैण्ड इविकशन एण्ड रैन्ट रिक्वरी एक्ट 1971, के तहत दी गई है। लकड़ी की चोरी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन मण्डलाधिकारियों और अरण्यपालों को चोरी या अवैध व्यापार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों को जब्त करने की शक्तियाँ दी गई हैं।

(ङ) वर्ष के दौरान प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वानिकी तथा अन्य विषयों पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चायल तथा सुन्दरनगर वन प्रशिक्षण संस्थानों में, दीर्घ एवम् लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अन्तर्गत 44 वन-राजिकों, 111 उप-वनराजिकों, 485 वन-रक्षकों, 36 लिपिक वर्गीय तथा 26 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रदेश में दो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से धन उपलब्ध करवाया गया जो इस प्रकार है :-

- विश्व बैंक की सहायता से संचालित मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना:

राज्य में विश्व बैंक की सहायता से कुल 365 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्षों में क्रियान्वित की जाने वाली मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना का आरम्भ 01-10-2005 से किया गया है। परियोजना लागत का निर्वहन विश्व बैंक एवम् राज्य

सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात से किया जाएगा तथा परियोजना लागत का 10% भाग लाभार्थियों द्वारा अंशदायी होगा। यह परियोजना दस जिलों के 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों, जो कि 600 से 1800 मीटर की ऊँचाई के मध्य पड़ती हैं, में चलाई जा रही है। परियोजना के कार्यान्वयन की सफलता को देखते हुये विश्व बैंक ने परियोजना के द्वितीय चरण के लिये 102 नई पंचायतों को इस परियोजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है तथा 235.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके इसकी लागत को 365 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 600.75 करोड़ रुपये करके इसकी अवधि को भी 31 मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया है। अब यह परियोजना 704 पंचायतों में कार्यान्वित है। इस योजना का उद्देश्य कुदरती संसाधनों में आई कमी को पूरा करना तथा योजना-क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी करना है।

वर्ष 2013-14 के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत 70.00 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य रखा गया था जिसे मार्च, 2014 तक खर्च कर दिया गया।

- **स्वां नदी एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना :**

जापान सरकार की सहायता से संचालित 160 करोड़ रुपये की स्वां नदी एकीकृत जल प्रवाह विकास परियोजना आरम्भ में जून, 2006 से मार्च, 2014 तक आठ वर्षों के लिये बनाई गई थी। अब सूक्ष्म-योजना स्तर पर क्रियान्वित करने पर तथा वर्ष 2011 में योजना पर अर्धवार्षिक मध्यावधि समीक्षा एवम् मूल्यांकन (MTR&E) की सिफारिशों के अनुसार यह योजना 2006-07 से 2014-15 तक 9 वर्षों के लिये 215 करोड़ रुपये की संशोधित की गई है। इस परियोजना को वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से ऊना जिला की 96 पंचायतों में पंचायत विकास समितियों के तहत परिचालित किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 85 प्रतिशत लोन तथा 15 प्रतिशत राज्य

हिस्सा स्टाफ को वेतन तथा कर इत्यादि के रूप में निर्धारित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य वनों का पुनरोत्पादन, कृषि भूमि की सुरक्षा तथा स्वां नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कृषि एवम् वानिकी उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके लिए स्वां नदी जल ग्रहण क्षेत्र में एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन गतिविधियां जिनमें वानिकी, भू एवम् नदी प्रबन्धन के लिए निर्माण कार्य व भू-संरक्षण कार्य किये जा रहे हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि विकास तथा लोगों की आजीविका सुधारने के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस परियोजना के लिये 45.00 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य रखा गया था जो वर्ष के दौरान खर्च कर दिया गया।

3. वित्तीय परिणाम

हिमाचल प्रदेश में शंकुधर वनों का उत्पादन चौड़ी पत्ती के वनों से अधिक है, परन्तु यह आवश्यक आपूर्ति के लिए अपर्याप्त है। मांग की आपूर्ति के लिए लम्बी अवधि की योजनाएं प्रदेश में वन प्रजातियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। पिछले पांच वर्षों में वनों पर व्यय से सम्बन्धित आंकड़े निम्न हैं :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राजस्व	नान-प्लान व्यय	सरप्लस नान-प्लान व्यय	प्लान व्यय	कुल व्यय
2009-10	7211.22	21850.92	(-)14639.70	12816.57	34667.49
2010-11	6544.03	22911.25	(-)16367.22	13830.99	36742.24
2011-12	10654.48	23834.97	(-)13180.49	13872.72	37707.69

2012-13	6389.73	22656.82	(-)16267.09	15518.50	38175.32
2013-14	35783.45	25710.57	10072.88	18280.08	43990.65

नोट :- व्यय के आंकड़ों को वन तथा भू-संरक्षण मदों को मिला कर दर्शाया गया है जिसमें राज्य और केन्द्रीय सैक्टर के प्रोग्राम शामिल हैं।

4. राजस्व

वर्ष 2013-14 में वनों से 35783.45 लाख रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।
स्त्रोत सहित तीन वर्षों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

(रुपये लाखों में)

मेजर हैड 0406 - वन राजस्व	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)
1. सरकारी एजेंसियों द्वारा जंगलों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज	22.18	36.88	9.90
2. हिमाचल प्रदेश वन निगम सहित उपभोक्ताओं व खरीददारों द्वारा वनों से निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज	3166.91	1263.77	4537.80
3. प्रवाहित तथा बिखरी पड़ी लकड़ी (ड्रिफ्ट एण्ड वेफवुड)	0	1.11	0
जोड़	3189.09	1301.76	4547.70
4. <u>अन्य आय</u>			
i) वन्य प्राणी संरक्षण एवं पर्यावरण	2.21	1.22	1.53
ii) अन्य गौण साधनों से आय।	7463.18	5086.75	31234.22
जोड़	7465.39	5087.97	31235.75
कुल राजस्व	10654.48	6389.73	35783.45

5. बजट

समान्य कार्य गैर योजना बजट के अन्तर्गत कार्यान्वित किए जाते हैं जबकि विकास सम्बन्धी कार्य योजना बजट के अन्तर्गत किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 में गैर योजना पर 25710.57 लाख रुपये व्यय किये गए जबकि वर्ष 2012-13 में यह व्यय 22656.82 लाख रुपये था।

6. पौधारोपण कार्यक्रम :

वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा विभिन्न पौधारोपण योजनाओं के अन्तर्गत 17429 हेक्टेयर क्षेत्र में 166.37 लाख पौधे लगाए गये जिसका जिलावार ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	जिला	पौधारोपित क्षेत्र (हे०)	पौधे (लाखों में)
1	बिलासपुर	1152	6.96
2	चम्बा	3597	31.01
3	कांगड़ा	1463	15.24
4	कुल्लू	2201	17.49
5	मण्डी	2517	28.97
6	सिरमौर	1050	12.82
7	सोलन	1148	12.39
8	शिमला	1364	13.72
9	हमीरपुर	449	3.40
10	लाहौल-स्पीति	634	7.16

11	किन्नौर	412	3.97
12	ऊना	1442	13.24
	कुल	17429	166.37

वर्ष के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत किए गये योजनावार पौधारोपण की भौतिक उपलब्धियों का ब्योरा निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	योजना का नाम	उपलब्धियां 31-03-2014
		भौतिक (हे०)
1.	2.	3.
1	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन	571
2	चरागाह विकास	185
3	तेरहवें वित्त आयोग के तहत संरक्षण और प्रबन्धन कार्य	1371
4	वृक्षावरण सुधार	2567
5	सांझी वन योजना	9
6	चिलगोज़ा पुनर्जनन	8
7	मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना	1022
8	स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना	960
	जोड़	6693

7. प्रशासनिक इकाईयां तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या (31-03-2014)

इकाई	क्षेत्रीय	कार्यकारी	कुल
वृत्त	12	13	25

मण्डल	44	8	52
परिक्षेत्र	192	4	196

नोट :- वन प्रशिक्षण संस्थान चायल तथा सुन्दरनगर भी उपरोक्त सारणी में सम्मिलित हैं।

अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

पद/श्रेणी	स्वीकृत	स्थिति में
राजपत्रित -I:		
भारतीय वन सेवा अधिकारी	114	102
राज्य वन सेवा अधिकारी	160	146
पशु चिकित्सक	1	8
जिला अटार्नी	1	1
उप-नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1
पंजीयक	3	3
अधीक्षक ग्रेड-I	23	23
निजी सचिव	1	1
अधिशाली अभियन्ता	2	2
सहायक अभियन्ता	5	5
कलक्टर (वन)	1	1
कुल	312	293
राजपत्रित -II:		
वन-राजिक	296	211
अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)	2	2
वन मानचित्र अधिकारी	1	1
सांख्यिकीविद्	1	0
नायब तहसीलदार	8	5
कुल	308	219

तृतीय श्रेणी:		
उप-वनराजिक	801	771
वन रक्षक	2583	2143
अधीक्षक ग्रेड -II	127	127
वरिष्ठ सहायक	219	215
कनिष्ठ सहायक/लिपिक	445	247
निजी सहायक	6	5
सीनियर स्केल स्टैनोफर	23	11
स्टैनो टाइपिस्ट	13	3
तकनीकी सहायक	1	1
सांख्यिकीय सहायक	3	2
संगणक	4	0
कनिष्ठ अभियन्ता	7	5
मुख्य प्रारूपकार	13	11
कनिष्ठ प्रारूपकार	11	11
प्रारूपकार	9	3
सर्वेक्षक	5	2
कानूनगो	25	18
पटवारी	16	10
ड्राइवर	83	81
अन्य	24	17
जोड़	4418	3683
चतुर्थ श्रेणी:		
चपरासी/अन्य चतुर्थ	3846	3793
कुल जोड़	8884	7988

8. अधिकतम तथा लगातार उत्पादन के लिए क्षेत्र का प्रबन्धन

हाल के वर्षों में वनों का प्रबन्धन अधिक उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि वातावरण को प्रदूषण मुक्त तथा भूमि कटाव की रोकथाम के लिए भी किया जाता है। अधिकांश वन क्षेत्रों का प्रबन्धन नियमित कार्ययोजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

9. वन निगम

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य वन निगम की स्थापना 1 अप्रैल, 1974 को वनों से प्राप्त की जाने वाली वनोपज के निष्कासन हेतु की गई थी। वर्ष 2013-14 का विवरण निम्न प्रकार है :-

(क) बरोजा

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा विभागीय बरोजा निस्सारण कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 14,53,871 बरोजा के टक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को निस्सारण हेतु सौंपे गये जिनसे 53892 क्विंटल बरोजा निकाला गया। उपरोक्त सरकारी टकों के अतिरिक्त दूसरे निजी क्षेत्रों का बरोजा भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम खरीदती है। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश बरोजा एवं बरोजा उत्पाद (व्यापार विनियम) अधिनियम 1981, के अन्तर्गत निजी क्षेत्रों से निकाला गया बरोजा भी राज्य वन निगम द्वारा खरीदा गया क्योंकि किसी भी निजी मालिक को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को इसे बेचने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) ईमारती लकड़ी

प्रदेश में सरकारी वनों से लकड़ी के निष्कासन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। वर्ष 2013-14 में निगम को 2,18,806 घन मीटर लकड़ी निस्सारण हेतु दी गई

है। वर्ष 2013-14 के दौरान 1337 घनमीटर लकड़ी बर्तनदारों को बर्तनदारी दर पर प्रदान की गई।

10. वानिकी अनुसंधान

वर्ष के दौरान डॉ0 वाई0 एस0 परमार उद्यान एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन को वानिकी अनुसंधान हेतु जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत 32.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया था जिसका भुगतान मार्च, 2014 तक कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विभाग में एक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण इकाई भी कार्य कर रही है। इसका मुख्य कार्य बीज प्रमाणिकता, बीज एकत्रीकरण तथा उसका भण्डारण, नर्सरी प्रयोग, पौधारोपण प्रयोग तथा वर्धन एवं उपज अध्ययन पर शोध कार्य करना है। इसके तहत अनुसंधान के लिए वार्षिक लक्ष्य 3.00 लाख रुपये रखा गया था जिसे मार्च, 2014 तक व्यय कर लिया गया।

11. वन्य प्राणी संरक्षण

हिमाचल प्रदेश में योजना बजट के तहत वन्य प्राणी संरक्षण की निम्न योजनाएं कार्यान्वित हैं :-

1. वन्य प्राणी शरण्यों का विकास और सुधार (परिरक्षण)।
2. हिमालयन वन्य प्राणी उद्यान का विकास।
3. एच0पी0जैड0सी0बी0एस0 को अनुदान।
4. प्राणि-उद्यान के तहत भवन।
5. पिन वैली नैशनल पार्क का विकास।
6. वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध।
7. वन्य प्राणी शरण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के लिए सहायता।

उपरोक्त योजनाओं के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सैक्टर के तहत 440.49 लाख रुपये तथा केन्द्रीय सैक्टर के तहत 363.55 लाख रुपये खर्च किये गये। विस्तृत ब्योरा परिशिष्ट-(क) में उपलब्ध है।

12. प्रचार योजना

विभाग में किए जा रहे कार्यक्रमों के महत्व को विस्तारपूर्वक प्रचार वन मण्डल, शिमला द्वारा प्रचारित किया जाता है। प्रदेश के लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापन-गीतों, दृश्यों एवं श्रवण, इलैक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनियों, प्रकाशित सामाग्री तथा दूरदर्शन द्वारा वनों और उनके महत्व की जानकारी दी जाती है। इन गतिविधियों पर वर्ष के दौरान 25.85 लाख रुपये की धन राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 1 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी संचालित की गई, जिस पर 2.10 लाख रुपये खर्च किए गये।

13. सांझी वन योजना

प्रदेश में सांझी वन योजना वर्ष 1998 से आरम्भ की गई। इस योजना पर वर्ष 2013-14 में 19.00 लाख रुपये व्यय किए गए। यह योजना सामाजिक प्रक्रिया का एक परीक्षण है इसमें विभागीय प्रबन्धन प्रणाली से हटकर एक नया प्रयास किया जा रहा है। यह योजना सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक योजना है जिसमें गैर सरकारी संगठनों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत, महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्कूल तथा ग्राम विकास समितियां भागीदार हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु इन संस्थाओं को मौलिक स्तर पर शामिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त वनों के लिए पुनर्वास, समुदाय के हित के लिए सामाजिक सम्पत्ति का सृजन करना, सामुदायिक सहभागिता के लिए सरकारी कर्मचारियों का पुनर्विन्यास करना, सामूहिक प्रबन्धन के लिए

कर्मचारियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक निजी बंजर भूमि को वनों के अधीन लाने हेतु खर्च तथा लाभ में भागीदारी के आधार पर लोगों को प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं। इस योजना में बाह्य सहायक एजेंसियों ने बहुत रूचि दिखाई है।

14. हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा

हिमाचल प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 3 अगस्त, 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के आदेशानुसार की गई थी जिसमें निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया।

क. शासी निकाय : [सभापति : मुख्य मन्त्री, उप-सभापति : वन मन्त्री और सदस्य सचिव : अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)]

ख. विषय निर्वाचन समिति : [सभापति : मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार और सदस्य सचिव : अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (कैट प्लान)]

ग. कार्यकारिणी समिति : [अध्यक्ष : प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश और सदस्य सचिव : नोडल अधिकारी (राज्य कैम्पा)]

तदर्थ कैम्पा, भारत सरकार में हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा वन्य प्राणी प्रबन्धन आदि कार्य करने हेतु उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा पैसा जमा करवाया जाता है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुल जमा राशि का 10% (सभी राज्य कैम्पा के लिये निर्धारित 1000 करोड़ रुपये की सीमा में) उपरोक्त कार्यों को करने हेतु जारी किया जाता है। ये कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना तथा FCA

clearance की औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत ही किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा की विषय निर्वाचन समिति (Steering Committee) द्वारा वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना के लिये 79.18 करोड़ रुपये की राशि निम्नलिखित गतिविधियों के लिये दो अलग-अलग APOs द्वारा अनुमोदित की गई जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :-

(रुपये करोड़ों में)

Sr. No.	Name of Head/Sector	APO (Part-I) against current release of 2013-14	APO (Part-II) against un-spent amount of 2009-10	Total
1.	शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)	0	17.99	17.99
2.	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT Plan)	35.51	1.75	37.26
3.	प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Afforestation)	17.99	0	17.99
4.	वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना (Wildlife Management Plan)	0	5.62	5.62
5.	रिम प्लानटेशन (Rim Plantation)	0	0	0
6.	भू एवं जल संरक्षण प्लान (Soil & Water Conservation Plan)	0	0.32	0.32
7.	रिक्लामेशन प्लान (Reclamation Plan)	0	0	0
जोड़		53.50	25.68	79.18

तदर्थ कैम्पा, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा को वर्ष 2013-14 के लिये कुल 53.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी, लेकिन वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य कैम्पा द्वारा 79.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :-

(रुपये करोड़ों में)

1.	वर्ष 2013-14 के APO के विरुद्ध खर्च की गई राशि	53.01 करोड़
2.	वर्ष 2009-10 की balance unspent राशि के विरुद्ध खर्च की गई राशि	21.65 करोड़
3.	वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 के balance funds के विरुद्ध खर्च की गई राशि	4.93 करोड़
जोड़		79.59 करोड़

15. हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश में भागीदारी वन प्रबन्धन का कार्यान्वयन भारतीय वन नीति 1988 की सिफारिशों तथा इसके उपरान्त वर्ष 1990 में प्राकृतिक वन प्रबन्धन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में अधिसूचना जारी करके किया।

इसके अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग में वन मण्डलाधिकारियों के स्तर पर 1562 संयुक्त वन विकास समितियों का गठन किया गया जिसमें से वर्तमान में 963 वन विकास समितियां कार्य कर रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से मुख्यालय स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास एजेंसी गठित की गई जिसके माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 2010 से 2013 तक प्रदेश की संयुक्त वन विकास समितियों को वानिकी कार्यक्रम में सीधे तौर पर धन उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में 34 क्षेत्रीय तथा 2 वन्यप्राणी वनमण्डलों में वन विकास एजेंसियों का गठन किया जा चुका है।

वर्ष 2013-14 के लिए भारत सरकार ने 522.16 लाख रुपये का प्रावधान रखा था जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 261.08 लाख रुपये उपलब्ध करवाये गये थे इसमें से 247.99 लाख रुपये खर्च किये गये।

16. वन आग प्रबन्ध

वनों को आग से बचाने हेतु वर्ष 2013-14 में 446 संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों को चिह्नित कर वनों की आग से सुरक्षा हेतु शामिल किया गया। इन समितियों से आग निकासी लाईनों, आग पर नियन्त्रण के उपायों आदि को हर वर्ष जनवरी व फरवरी तक भुगतान के आधार पर करवाया जाता है। आग न लगने की स्थिति में भी इन समितियों को मौद्रिक प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वनों की आग से सुरक्षा करने हेतु कुल मिलाकर 120 आग नियन्त्रण कक्षों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष के दौरान आग की 397 घटनाओं में लगभग 3237.52 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ जिससे 52,31,011 रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।

17. अन्य विकास योजनायें

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों व योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में निम्नलिखित वानिकी विकास योजनायें भी कार्यान्वित की जा रही हैं :-

1. वनों का सर्वेक्षण तथा सीमांकन।
2. वनों की सुरक्षा।
3. चरागाह विकास।
4. कार्ययोजना संगठन।
5. शटल और बॉबिन फैक्टरी।
6. भवन निर्माण योजनाएं।
7. सड़कों तथा रास्तों की निर्माण योजनाएं।
8. भवनों तथा सड़कों/रास्तों की मरम्मत।
9. निर्देशन एवं प्रशासन इत्यादि।

18. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 (RTI Act-2005) के अनुच्छेद 4 (1) (बी) के अन्तर्गत 17 मदों में वांछित सूचना वन विभाग की वेबसाइट www.hpforest.nic.in पर उपलब्ध है। इस सूचना को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है।

वर्ष 2013-14 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर 2406-वन तथा 2402-भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा संलग्न परिशिष्ट - 'क' में दिया गया है।

परिशिष्ट - 'क'

वर्ष 2013-14 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियाँ

प्रांतीय योजनाएँ

क. गैर जन-जातीय

वानिकी क्षेत्र

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	निर्देशन और प्रशासन	स्थापना व्यय तथा विभिन्न कार्य	-	-	617.27
2.	एन.आर.एम.टी.डी.एस. को अनुदान	अनुदान	-	-	17.00
3.	सम्पर्क मार्ग एवम् भवन	(क) मार्ग निर्माण (ख) भवन निर्माण (ग) भवन तथा	कि०मी० संख्या	कार्य प्रगति पर -यथोपरि-	39.45 190.00

		मार्ग मरम्मत	-	-	80.00
4.	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	वनों का सीमांकन	-	-	17.00
5.	कार्ययोजना संगठन	कार्ययोजना बनाना	-	-	9.00
6.	वन सुरक्षा	वन सुरक्षा	श्रम दिवस	-	36.44
7.	चरागाह विकास	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	155	50.00
8.	वृक्षावरण सुधार/नर्सरियों की स्थापना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	2501	756.55
9.	शटल एवम् बॉबिन फैक्टरी	-	-	-	12.00
10.	सांझी वन योजना	विभिन्न कार्य	-	-	16.00
11.	मज़दूरों व कर्मचारियों को सुख-सुविधाएं	सुविधाएं	-	-	11.00
12.	तेरहवें वित्त आयोग के तहत संरक्षण और प्रबन्धन कार्य	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	1164	2572.84
13.	मध्य हिमालयन जल प्रवाह परियोजना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	1022	6999.51
14.	वानिकी अनुसन्धान योजना	विभिन्न कार्य	-	-	3.00
15.	स्वां नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	960	4500.00
16.	पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना (बी.ए. एस.पी.)	विभिन्न कार्य	-	-	60.16
जोड़					15987.22

वन्य प्राणी क्षेत्र

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	वन्य प्राणी परिरक्षण	स्थापना व्यय/ विभिन्न कार्य	-	-	123.00
2.	हिमालयन वन्य-प्राणी उद्यान का विकास	विभिन्न कार्य	-	-	72.00
3.	एच.पी.जैड.सी.बी.एस. को अनुदान	विभिन्न कार्य	-	-	195.00
4.	प्राणी उद्यान के तहत भवन	विभिन्न कार्य	-	-	7.00
योग					397.00
कुल जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी गैर जनजातीय योजनाएं					16384.22

ख. जन-जातीय योजना

वानिकी क्षेत्र

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	सम्पर्क मार्ग एवम् भवन	1.भवन निर्माण	सं०	-	84.66
		2.सड़क निर्माण	कि०मी०	-	108.69
2.	सांझी वन योजना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे०	9	3.00
3.	चिलगोज़ा पुनर्जनन	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे०	8	5.12
4.	तेरहवें वित्त आयोग के तहत संरक्षण और	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे०	207	245.00

	प्रबन्धन कार्य	अन्य कार्य			
5.	वानिकी कार्यक्रम	विभिन्न कार्य	-	-	77.37
6.	चरागाह विकास	पौधारोपण	हे0	30	0
7.	वृक्षावरण सुधार/नर्सरियों की स्थापना	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	65	48.81
कुल जोड़ जन-जातीय					572.65

वन्य प्राणी क्षेत्र

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	पिन वैली नेशनल पार्क का विकास	विभिन्न कार्य	-	-	3.00
2.	वन्य प्राणी शरण्यों का गहन प्रबन्ध	विभिन्न कार्य	-	-	32.99
3.	वन्य प्राणी शरण्यों का विकास और सुधार (परिरक्षण)	विभिन्न कार्य	-	-	7.50
जोड़ वन्य प्राणी					43.49

डॉ० वाई० एस० परमार उद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान/योग (जनजातीय)	अनुदान	-	-	32.00
कुल जोड़ जनजातीय (वानिकी, वन्य प्राणी तथा विश्व-विद्यालय अनुदान)				648.14

ग. भू-संरक्षण योजनाएं (गैर-जनजातीय)

1.	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवम् प्रदर्शन	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	490	239.12
2.	राज्य सरकार के प्रयासों से कृषि पूरक वृहद् प्रबन्धन (Macro Management of Agriculture)	विभिन्न कार्य	-	-	23.73
जोड़ प्रान्तीय योजनायें (गैर जन-जातीय)					262.85

घ. भू-संरक्षण (जनजातीय)

1.	सुरक्षात्मक वनीकरण, भू-संरक्षण एवं प्रदर्शन /योग	पौधारोपण/ अन्य कार्य	हे0	81	42.00
कुल जोड़ भू-संरक्षण गैर जन-जातीय तथा जन-जातीय योजनाएं					304.85
कुल जोड़ प्रांतीय वानिकी, वन्य प्राणी, भू-संरक्षण एवं विश्वविद्यालय सहायता अनुदान (गैर जन-जातीय तथा जन-जातीय योजनाएं)					17337.21

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

क. वानिकी क्षेत्र (गैर जन-जातीय)

क्र० सं०	योजना का नाम	कार्य का नाम	इकाई	भौतिक	वित्तीय (लाख रुपये)
1.	एकीकृत वन संरक्षण योजना	विभिन्न कार्य	-	-	364.41
जोड़ वानिकी क्षेत्र (गैर जन-जातीय)					364.41

ख. वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)

1.	वन्य प्राणी शरण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता	विभिन्न कार्य	-	-	265.08
	जोड़ वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)				265.08
	जोड़ वानिकी तथा वन्य प्राणी (गैर जन-जातीय)				629.49

ग. वन्य प्राणी (जन-जातीय)

1.	वन्य प्राणी शरण्यों का गहन विकास	स्थापना एवम् अन्य व्यय	-	-	83.50
2.	पिन-वैली नैशनल पार्क का विकास	स्थापना एवम् अन्य व्यय	-	-	14.97
	जोड़ जनजातीय वन्य प्राणी				98.47

घ. भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय)

1.	राज्य सरकार के प्रयत्नों से कृषि पूरक वृहद प्रबन्धन (Macro Management of Agriculture)	स्थापना व्यय एवं उपकरणों पर व्यय	-	-	214.91
	जोड़ भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय)				214.91
	कुल जोड़ केन्द्रीय वानिकी, वन्य प्राणी तथा भू-संरक्षण (गैर जन-जातीय तथा जनजातीय योजनाएं)				942.87
	कुल जोड़ प्रांतीय तथा केन्द्रीय योजनाएं हि0 प्र0।				18280.08

